न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 52 / 2023	2023 / 399	26.07.2023	15.05.2024

1. जमील पुत्र श्री नन्नू खां, जाति मेव, निवासी ग्राम सिरमोली, तहसील व जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जोनू पुत्र श्री सफेदा, जाति मेव
2. कासम पुत्र श्री सफेदा, जाति मेव
3. नसरूदीन पुत्र श्री सफेदा, जाति मेव, निवासीयान ग्राम सिरमोली, तहसील व जिला अलवर राज0।
4. तहसीलदार अलवर तहसील अलवर राज0।

—असल रेस्पोडेन्ट

5. सुमेर पुत्र नन्नू खां , जाति मेव
6. जुहरा पुत्र नन्नू खां, जाति मेव
7. सप्पी पुत्र नन्नू खां जाति मेव निवासीयान ग्राम सिरमोली, तहसील व जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पोडेट्स

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार अलवर राजस्व कैम्प सिरमोली दिनांक 02.06.1992 जरिये मृतक श्री नन्नू पुत्र अजुर्न का इन्तकाल विरासत संख्या 20 बेजा व खिलाफ कानून तस्दीक फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया गया।

उपस्थितः—
01—श्री ब्रजराज सिंह नरूका —वकील अपीलांट
02—श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील असल रेस्पोडेंट्स

—:निर्णयः—

अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार अलवर राजस्व कैम्प सिरमोली दिनांक 02.06.1992 जरिये मृतक श्री नन्नू पुत्र अजुर्न का इन्तकाल विरासत संख्या 20 बेजा व खिलाफ कानून तस्दीक आदेश फरमाये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर ने आज्ञा दिनांक 02.06.1992 को राजस्व कैम्प सिरमोली के दौरान सादिर फरमाई है, जिसकी बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं हो सकी और जिस कथित आज्ञा की बाबत सर्वप्रथम इल्म दिनांक 20.01.2021 को जबकि अपीलान्ट ने अपना केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त की हुई है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 21.01.2021 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 21.01.2021 को नकल प्राप्त होने पर समस्त तथ्यों की जानकारी हुई, जिससे यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जाती है। दिनांक 02.06.1992 से दिनांक 20.01.2021 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके बाद से आज तक का समय नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि करने में व्यस्त होने के कारण धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता श्री नन्नू पुत्र अर्जुन का स्वर्गवास हो गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

था जिसक इन्तकाल विरासत संख्या 20 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया और जिसमें उक्त श्री नन्नू का परिवार का सजरा भी खोला गया, जिस सजरे के अनुसार उसके कुल 05 पुत्र होना बताया गया है। जिसमें सफेदा को मृतक होना दर्ज किया गया है एवं चार पुत्र सुमेर, जुहरा, सप्पी व जमील को जीवित बताया गया है, उसके पुत्र मृतक सफेदा के वारिसान में उसकी बेवा मु. रहमीन व तीन पुत्र जोनू, कासम व नसरूदीन दर्ज किये है। उक्त सजरे के अनुसार उनके जीवित चार पुत्र अजनाम सुमेर, जुहरा, सप्पी व जमील के नाम उनकी विरासत का इन्तकाल 1/5, 1/5 दर्ज किया जाना चाहिए था एवं 1/5 हिस्से में मृतक सफेदा के वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के सभी वारिसान के नाम मृतक श्री नन्नू का इन्तकाल बहिस्से बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश दिया गया है। कानूनन मृतक का इन्तकाल विरासत सभी पुत्रों के नाम बराबर बराबर तस्दीक किया जा सकता है। इन्तकाल में दर्ज सजरे के अनुसार मृतक श्री नन्नू के चार पुत्र जीवित है, इसलिए इन चारों के नाम इन्तकाल विरासत बकदर हिस्सा 1/5–1/5 तस्दीक किया जाना चाहिये था एवं शेष 1/5 हिस्सा उसके मृतक पुत्र सफेदा के वारिसान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। नन्नू के मृतक पुत्र सफेदा की पत्नि रहीमन का अब स्वर्गवास हो चुका है जिस कारण अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं मृतक सफेदा के तीनों जीवित पुत्र जोनू, कासम व नसरूदीन को बतौर असल रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। इन्तकाल की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही होती है जिसका अमल मौके व कब्जे अनुसार किया जाना चाहिये मृतक श्री नन्नू के स्वर्गवास होने के पश्चात उसकी खातेदारी की आराजी के 1/5, 1/5 हिस्से पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लगायत 07 का कब्जा व 1/5 हिस्से पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा चला आ रहा है, इसलिए बलिहाज कब्जा भी इन्तकाल उपरोक्त अनुसार ही दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिए था। अतः अपील हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा तहसीलदार अलवर राजस्व कैम्प सिरमोली दिनांक 02.06.1992 बाबत इन्तकाल विरासत संख्या 20 को संशोधित फरमाया जाकर मृतक श्री नन्नू का इन्तकाल विरासत 1/5, 1/5 हिस्सा का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हक में तस्दीक फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.06.1992 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। अपीलांट का यह कहना गलत है कि आलोच्य आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.01.2021 को हुई हो, जबकि वास्तविकता यह है कि आलोच्य आदेश की दिनांक से ही अपीलांट को जानकारी थी। स्वंय अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 आलोच्य आदेश पारित करते समय मौजूद थे और उनकी सहमति से आलोच्य आदेश के आधार पर इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया। उक्त आलोच्य आदेश पारित होने के बाद राजस्व अभिलेख में हुए इन्द्राजात के आधार पर दिनांक 04.07.2007 को आराजी ख0नं0 1060 रकबा 73 ऐयर का 1/2 हिस्सा सम्मिलित रूप से बेचान किया गया, जो विक्रय पत्र आलोच्य आदेश के बाद अपीलाधीन इंतकाल सं0 20 के अमल व प्रभाव में आने के उपरांत तैयार किये गये राजस्व अभिलेख के आधार पर किया गया अर्थात् दिनांक 04.07.2007 को भी अपीलांट को आलोच्य आदेश की बखुबी जानकारी थी। फिर भी प्रा0पत्र गलत तथ्यों के आधार पर व वास्तविकता छिपाते हुए पेश किया गया है। दिनांक 02.06.1992 से दि0 20.01.2021 तक का समय मियाद मुजरा दिये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावें। असल रैस्पो0 की ओर से अपने जवाब के समर्थन में एआईआर 2022 एससी 582 पार्ट डी, आरआरडी 1994 पेज 13 एवं आरआरडी 2014 पेज 39 नजिरे पेश की गयी है।

हमने पत्रावली व उभय–पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.1992 के विरूद्ध दिनांक 27.01.2021 को पेश की गयी है। जो करीब 28 वर्ष 6 माह के विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब की अवधि कन्डोन करने लिए दिन–प्रतिदिन का मुजरा पेश किया जाना होता है। किन्तु अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नहीं किया गया है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश पारित होने के बाद राजस्व अभिलेख में हुए इन्द्राजात के आधार पर दिनांक 04.07.2007 को आराजी ख0नं0 1060 रकबा 73 ऐयर का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

1/2 हिस्सा पक्षकारान द्वारा सम्मिलित रूप से विक्रय किया गया। विक्रय पत्र आलोच्य आदेश के बाद अपीलाधीन इंतकाल सं0 20 के अमल व प्रभाव में आने के उपरांत तैयार किये गये राजस्व अभिलेख के आधार पर किया गया अर्थात् दिनांक 04.07.2007 को भी अपीलांट को आलोच्य आदेश की बखुबी जानकारी थी। उक्त विक्रय–पत्र के तथ्यों को अपीलांट द्वारा अपील पेश करते समय अंकित नहीं किया गया। अपीलांट को आलोच्य आदेश की जानकारी होने के बावजूद अपील विलम्ब से पेश करने कारण अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के आधार पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर राजस्व कैम्प सिरमोली दिनांक 02.06.1992 बाबत इन्तकाल विरासत संख्या 20 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर राजस्थान